



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102026-277542
CG-DL-E-30102026-277542

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 859]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2026/कार्तिक 8, 1948

No. 859]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2026

सं. 35/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 960(अ).— वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 19/2026-सीमाशुल्क, दिनांक 30 मई, 2026, जिसे सा.का.नि. 420(अ), दिनांक 30 मई, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुच्छेद 2 में, अंक और शब्द “31 अक्टूबर, 2026” के स्थान पर, अंक और शब्द “31 दिसंबर, 2026” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/288/2021-टीओ(टीआरयू-1)]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2026

No. 35/2026-Customs

G.S.R. 960(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 19/2026-Customs, dated the 30th May, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 420(E), dated the 30th May, 2026, namely: -

In the said notification, in paragraph 2, for the figures and words “31st day of October, 2026”, the figures and words “31st day of December, 2026” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/288/2021-TO(TRU-I)]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.